

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:- 377/13 (आरसीएमसी नं. 2013/00043)

01. नानूराम,
02. रामकुंवार,
03. गंगाराम, पुत्रान शिवनारायण, जाति मीना, निवासीयान मीनों की ढाणी, मोती बंधा, वार्ड नम्बर 70, बाईपास रोड़, हरमाड़ा हाल निवासी चरण नदी, मीनों की ढाणी, बाईपास रोड़, मुरलीपुरा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

01. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जरिये सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
02. मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति जरिये अध्यक्ष श्री झाबरमल वर्मा, संजय कॉलोनी, पुलिस अकादमी के सामने, नेहरू नगर पानीपेच जयपुर।
03. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
04. अजय कपूर पुत्र डॉ. वायके कपूर,
05. श्रीमती अंजली कपूर पत्नी डॉ० अजय कपूर,
06. श्रीमती सीमा मोदी पत्नी नरेन्द्र मोदी, समस्त निवासीयान ग्राम माचड़ा, स्कीम एस-4, तहसील आमेर, जिला जयपुर

—रेस्पोडेन्ट्स

07. लालाराम पुत्र नारायण, जाति मीना,
08. बिरदीचन्द पुत्र नारायण, जाति मीना,
09. किशन,
10. मांगीलाल,
11. छाजू पुत्रान छोटूराम,
12. अर्जुन पुत्र पांचूराम,
13. धन्नाराम पुत्र पांचूराम,
14. रामरतन पुत्र पांचूराम,
15. बद्री पुत्र पांचूराम,
16. जगदीश पुत्र पांचूराम,
17. पप्पू पुत्र पांचूराम,
18. बाबू पुत्र शंकर,
19. छोटेलाल पुत्र फूलचन्द,
20. कैलाश पुत्र फूलचन्द,
21. रामलाल पुत्र फूलचन्द, समस्त जाति मीना, निवासी चरण नदी मीनों की ढाणी, बाईपास रोड़, मुरलीपुरा, जयपुर।

निर्णय

दिनांक: 11.07.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, जोन-बी-3, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आदेश दिनांक 14.02.2003 (प्रकरण संख्या 307/03) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 90 बी (7) के तहत प्रस्तुत की गई।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 अनुसार माचडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 936 रकबा 0.98 हैक्टर के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नारायण पुत्र बलदेव हिस्सा 1/2 शिवनारायण पुत्र धोकल हिस्सा 1/2, जाति मीना थे तथा शिवनारायण के स्वर्गवास पर विरासत का नामान्तरकरण विधिवत् अपीलान्ट रामकुंवार, नानूराम व गंगाराम पुत्र शिवनारायण के नाम स्वीकार होकर अमल जमाबन्दी में हो चुका था, नारायण का स्वर्गवास 35 वर्ष पूर्व व शिवनारायण पुत्र धोकल का स्वर्गवास दिनांक 08.11.1975 को हो गया था, प्रश्नाधीन निर्णय मृत व्यक्तियों के विरुद्ध उसके वारिसान को पक्षकार बनाये बिना पारित किया है जो एबनिशियों वाईड होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश पारित करने से पूर्व खातेदारान की जांच किये व अपीलान्ट्स को नोटिस तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्त के विरुद्ध आदेश पारित किया है जबकि आदेश पारित करने के दिन से जमाबन्दी सम्वत् 2060 में प्रश्नाधीन भूमि की खातेदारी अपीलान्ट्स के नाम दर्ज रिकार्ड है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किय है कि अपीलान्ट्स अनुसूचित जनजाति के सदस्ये है, अपीलान्ट व उनके हक पूर्वाधिकारी रिकार्डेड खातेदार शिवनारायण पुत्र धोकल व नारायण पुत्र बलदेव ने अपने जीवनकाल में किसी भी सहकारी समिति से कोई विक्रय अनुबन्ध नहीं किया, न ही विक्रय, न ही दान, न ही वसीयत आदि की है तथा कथित मोती भवन निर्माण सहकारी समिति लि. के द्वारा उक्त आराजी के पट्टे बिना वैधानिक अधिकार के अपनी समिति के सदस्यों को दिये गये है, जो कि प्रारम्भ से अवैध व अपीलान्ट के अधिकारों के विरुद्ध प्रभावशून्य व नोनेस्ट है। उन्होने आगे कथन किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की जोनल लेवल कमेटी की रिपोर्ट जो अपीलान्ट्स ने सूचना का अधिकार में प्राप्त की है में अंकित किया है कि योजना के भूखण्ड संख्या एस-1 से एस-4, एस-3ए, एस-5 से एस-11, एस-11बी, एस-11सी, एस-12, अन्य खसरे नम्बर 936 में है जिसका स्वामित्व सहकारी समिति के पास नहीं है एवं उक्त खसरा नम्बर 936 की 90 बी नहीं हुई है, उक्त प्लाट की संख्या 16 है जो नियमन योग्य नहीं है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादित खसरा नम्बर 936 ग्राम माचडा तहसील आमेर स्कीम नम्बर 4 एस मोती भवन निर्माण सहकारी समिति के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त जोन के द्वारा अपनी रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना हरमाडा जयपुर को पत्रांक ज.वि. प्राधि/जोन-6/डी 2472 में दी जाकर मद संख्या 4 में उल्लेख किया है कि दिनांक 13.10.2016 जोन में उपलब्ध इस योजना की पत्रावली में बेचान/अनुबन्ध की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं है एवं आदेशिका पैरा संख्या 46/एन के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 936 ग्राम माचडा का स्वामित्व सहकारी समिति के पास नहीं होना बताया गया है तथा अपना खाता कम्प्यूटर से उपलब्ध नकल जमाबन्दी खेवट/खतौनी प्रतिलिपि सम्वत्

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

2067-70 ग्राम माचड़ा के खाता संख्या 99 के अनुसार वर्तमान में उक्त आराजी खसरा नम्बर 936 खातेदार नारायण पुत्र बलदेव हिस्सा 1/2, रामकुमार, गंगाराम, नानूराम पुत्रान शिवनारायण हिस्सा 1/2 जाति मीना साकिन देह चरण नदी खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उन्होंने कथन किया है कि विवादित आराजी भूमि खसरा नम्बर 936 के राजस्व रिकार्ड में आराजी आज भी खातेदार के नाम अंकित है, जो कि अनुसूचित जनजाति "मीना" के सदस्य है तथा कानूनन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के खातेदारों की भूमि का हस्तान्तरकण किसी सहकारी समिति को भी नहीं हो सकता है तथा ऐसी भूमि का समिति द्वारा किया गया विक्रय, पट्टा आदि किसी उच्च जाति के व्यक्ति को नहीं किया जा सकता जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त 2012(2)आर.आर.टी 1279 एस.सी., 2016(2)आर.आर.टी 1058 एच.सी., 2010 (2)आर.आर.टी 738 एच.सी एल.बी. में प्रतिपादित है तथा हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट्स ने जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष न तो समर्पण किया, न ही उसने समिति को विक्रय या विक्रय अनुबन्ध किया, ऐसी परिस्थिति में जो पट्टे जयपुर विकास द्वारा उच्च जाति के सदस्यों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) की अवहेलना कर, बिना अधिकार के भूमि का संपरिवर्तन कर जारी किये है व प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है, जो प्रारम्भ से अवैध व शून्य प्रभावी होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित आदेश व निर्णय प्रारम्भ से अवैध व प्रभावशून्य होता है, हस्तगत प्रकरण में आदेश पारित करने के दिन विवादित आराजी खसरा नम्बर 936 रकबा 0.98 हैक्टर नारायण पुत्र बलदेव हिस्सा 1/2, व शिवनारायण पुत्र धोकल हिस्सा 1/2 जाति मीना के खातेदारी में अंकित थी जिनका स्वर्गवास क्रमाश 35 वर्ष पूर्व व शिवनारायण का स्वर्गवास दिनांक 08.11.1976 को हो गया था, शिवनारायण पुत्र धोकल की अन्य भूमि सीवजोंड ग्राम चरण नदी तहसील आमेर में स्थित का विरासती का नामान्तरकरण संख्या 126 सरपंच, नांगल जैसा बोहरा द्वारा दिनांक 25.09.1977 को मृतक के वारिसान हाल अपीलान्ट्स के पक्ष में तस्दीक व स्वीकार किया गया है, जिससे भी प्रमाणित है कि विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार शिवनारायण पुत्र धोकल मीना का नामान्तरकरण स्वीकार करने से पूर्व दिनांक 25.09.1976 को मृत्यु चुकी थी व प्रश्नाधीन आदेश जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित किया गया है तथा मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित निर्णय प्रारम्भ से ही अवैध होते है, इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्तों 2017(2) आर.आर.टी. 1047 एस.सी. में व्यवस्था दी गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.04.2010 को अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2003 को मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित आदेश होने व उसके द्वारा समिति को विक्रय नहीं करने के आधार पर निरस्त किया था जिसे अनुचित रूप से ऐसे व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर जो कि अपील में पक्षकार ही नहीं था उसके द्वारा

प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 805/2012 में वास्तविक तथ्यों के प्रतिकूल खातेदार शिवनारायण पुत्र धोकल को आदेश पारित करने के दिन जीवित पक्षकार मानकार व पट्टेधारी को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होना मान कर रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है इसलिये पुनः अपील पर सुनवाई की जा रही है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्राधिकृत अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष भूमि विवादग्रस्त के रिकार्डेड खातेदार या उसके वारिसान अपीलान्ट्स द्वारा अन्तर्गत धारा 90 बी भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत समर्पण कर भूमि रूपान्तरण हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, न उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया इसलिये महज राजस्व कर्मचारियों व मोती भवन निर्माण सहकारी समिति लि० ने आपस में साजकर विवादित भूमि को धोखे से हड़पने के उद्देश्य से सम्पूर्ण कार्यवाही को अनाधिकृत व्यक्ति जिसके पास भूमि का स्वामित्व नहीं था, के द्वारा की गई है, जो विरुद्ध कानूनन होने कारण निरस्त किये जाने योग्य है तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही दर्ज किया जाना न्यायहित में अपेक्षित है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि मोती भवन निर्माण सहकारी समिति के पास प्रश्नाधीन भूमि खसरा नम्बर 936 रकबा 0.98 हैक्टर ग्राम माचडा के स्वामित्व, अधिपत्य का कोई दस्तावेज न होते हुए प्रश्नाधीन आदेश द्वारा विवादित भूमि की 90 बी करने में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन व क्षेत्राधिकार का गलत इस्तेमाल कर कानून विरुद्ध अपीलान्धीन आदेश पारित किया है, जो काबिले खारिज है तथा उक्त समिति के सदस्यों को पट्टे दिये गये हैं वे अपीलान्ट्स के अधिकारों के विरुद्ध प्रारम्भ से प्रभावशून्य है जिनसे अवैध घोषित किया जाकर प्रश्नाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि प्रश्नाधीन भूमि की 90 बी भू राजस्व अधिनियम में तहत किये जाने हेतु प्रार्थनागण जो कि भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, के द्वारा भूमि को समर्पित किये जाने का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, प्रश्नाधीन आदेश मृत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नारायण जो कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है के द्वारा तथाकथित समिति मोती भवन निर्माण सहकारी समिति को कभी भी बेचान नहीं किया, न कोई बेचान करार किया गया, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समिति मोती भवन निर्माण सहकारी समिति ने विवादित खसरा नम्बर 936 रकबा 0.98 हैक्टर किये जाने हेतु आवेदन बिना किसी अधिकार के प्रस्तुत किया इस पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने नोट भी अंकित किया कि समिति के पास भूमि के स्वामित्व का कोई भी दस्तावेज नहीं है, किन्तु समिति व राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से जो प्रश्नाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह मृत व्यक्ति के विरुद्ध होने व खातेदारों के द्वारा समर्पण के अभाव में कानून विरुद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर प्रश्नाधीन आदेश प्राधिकृत अधिकारी जोन बी-3 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर दिनांक 14.02.2003 खारिज/निरस्त किये जाने की कृपा करें।

(5)

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 6 ने अपनी ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर उसमें अंकित किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा एक अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.2003 के विरुद्ध इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम मांचडा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 936 रकबा 0.98 हैक्टर के हिस्सा 1/2 के अपीलार्थीगण के पिता श्री शिवनारायण पुत्र धोकल खातेदार काश्तकार थे व उनकी मृत्यु के बाद अपीलार्थीगण है, शेष हिस्सा 1/2 के खातेदार प्रत्यर्थी संख्या 7 लगायत 21 के पूर्वज नारायण पुत्र बलदेव थे, प्रत्यर्थी संख्या 1 में कार्यरत जोन बी-3 के तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया व अपीलार्थीगण के हिस्से 1/2 की भूमि खसरा नम्बर 936 मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति के माध्यम से अकृषि उपयोग कर लिये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी जोन बी-3 के निर्णय दिनांक 14.02.2013 के आधार पर भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अंकित कर दी गई।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपील में वर्णित किये गये आधारों का जवाब व खण्डन रेस्पोडेन्ट की ओर से जरिये लिखित बहस में प्रस्तुत किया जा रहा है, अपील मीमों में वास्तविकता के विपरित तथ्यो एवं परिस्थितियों के अलावा गलत व मनगढ़ंत आधारों पर अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, जो कि प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। उन्होन आगे कथन किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है एवं अपीलार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष नहीं आये है इस कारण भी प्रथम दृष्टया ही अपीलार्थीगण की अपील खारिज किये जाने योग्य है, अपीलार्थीगण द्वार उक्त अपील में यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थीगण के पिता द्वारा अपने हिस्से 1/2 भूमि का मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचान नहीं किया गया है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि अपीलार्थीगण के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में ही मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा भूमि खसरा नम्बर 936 पर सृजित आवासीय योजना के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति की गई हैं तथा ना ही भूमि के बेचान के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण के पिता या अपीलार्थीगण द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई दीवानी या राजस्व कार्यवाही नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट प्रमाणित है कि अपीलार्थीगण के पिता द्वारा अपनी सहमति से भूमि पर रेस्पोडेन्ट के कब्जे को स्वीकार किया गया था व उक्त कब्जे व रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि पर किये गये निर्माण कार्य के आधार पर तहसीलदार द्वारा भूमि के मौके पर आवासीय उपयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण आदेश पारित किया गया है इसके अलावा यह भी तथ्य वर्णित किया जाना आवश्यक है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के पिता या अपीलार्थीगण के विवादित सम्पत्ति में स्वामित्व या बेचान हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित नहीं किया गया बल्कि मौके पर भूमि के किये जा रहे अकृषि उपयोग के आधार पर अपीलार्थीगण आदेश पारित किया है इस कारण अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 6 ने अपनी लिखित बहस में यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपील मीमों में यह वर्णित किया है कि अपीलार्थीगण के पिता शिवनारायण की मृत्यु अपीलाधीन आदेश से पूर्व हो चुकी थी व उन्हे बिना सुनवाई का मौका दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पारित किये जाते समय राजस्व रिकार्ड में शिवनारायण पुत्र धोकल का नाम दर्ज व अंकित था व अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व विधि की समस्त प्रक्रिया अपनाते हुये विवादित भूमि का भू रूपान्तरकरण किये जाने के सम्बन्ध किसी भी व्यक्ति को आपत्ति होने बाबत आपत्तियाँ मंगवाई गई थी व इस सम्बन्ध में दैनिक अखबार में भी विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई गई थी विज्ञप्ति प्रकाशित करवाये जाने के उपरान्त प्रथम दृष्टया यह माना जाता है सर्वसाधारण को भू रूपान्तरण किये जाने की जानकारी तथा विज्ञप्ति के पश्चात् आम सूचना में वर्णितानुसार यदि कोई उज्र या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जाती है तो यह माना जाता है कि उक्त आम सूचना में वर्णित भू रूपान्तरण की कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति या संस्था को कोई उज्र या आपत्ति नहीं है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधि सम्मत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, इस कारण से अपीलार्थीगण की अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 6 ने अपनी लिखित बहस में यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपील मीमों में यह तथ्य अंकित किया गया है कि विवादित भूमि अनुसूचित जनजाति की होने से उक्त भूमि का अनुबंध विक्रय व वसीयत शून्य है, अपीलार्थीगण द्वारा उक्त तथ्य बिलकुल तथ्यों व परिस्थितियों विधि के विरुद्ध अंकित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तान्तरण विलेख विक्रय इत्यादि के सम्बन्ध में अपीलाधीन आदेश पारित नहीं किया गया है बल्कि विवादित भूमि का मौके पर किये जा रहे अकृषि उपयोग व सम्बन्धित तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर जांच किये जाने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है व अपीलार्थीगण द्वारा भूमि के हस्तान्तरण विक्रय इत्यादि के सम्बन्ध में आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की है, यहाँ यह भी अंकित किया जाना आवश्यक है कि उक्त भूमि का राजस्व भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी (1) के तहत भू रूपान्तरण किया गया है तथा भू रूपान्तरण किये किये जाने के उपरान्त जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रेस्पोडेन्ट के हक में निर्धारित राशि प्राप्त कर विवादित भूमि के रिहायशी/आवासीय पट्टे जारी किये गये है एवं विधि अनुसार आवासीय भूमि के सम्बन्ध में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कोई कार्यवाही लागू नहीं होती है। उन्होने आगे कथन किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि पर मौके पर जांच किये जाने के उपरान्त विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा मानते हुये रेस्पोडेन्ट के हक में आवासीय पट्टे जारी किये गये है एवं आज भी रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि पर मकानात इत्यादि का निर्माण करवाकर नल व बिजली के कनेक्शन लेकर काबिज है व भूमि का उपयोग-उपभोग करते आ रहे है उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट का हक निहित है

इस सम्बन्ध में अपीलार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत डीबी स्पेशल अपील संख्या 1285/13 में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जरिये आदेश दिनांक 19.01.2015 को रेस्पोजेन्ट जयपुर विकास प्राधिकरण पट्टेधारी व्यक्तियों का भूमि में राईट इन्टरेस्ट इनवोल्व होना मानते हुए अपीलार्थीगण की अपील को खारिज फरमाया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नर्जाँ का अवलोकन किया तथा पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रथमतया प्रकरण में अपीलार्थीगण एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 2 एवं उसके सदस्यों के मध्य वादग्रस्त आराजी के बैचान/इकरारनामा इत्यादि होने न होने एवं कब्जा होने ना होने इत्यादि का विवाद विद्यमान है किन्तु न्यायालय हाजा को उक्त तथ्यों को तय करने के अधिकार प्राप्त नहीं है, इसके लिये तो उभयपक्ष को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये। द्वितीय पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जोन बी-3 में कार्यरत तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजी का अकृषि कार्य में उपयोग होने सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर एवं अधीनस्थ न्यायालय को इस सम्बन्ध में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2003 पारित कर वादग्रस्त आराजी के खातेदारान के केवल खातेदारी अधिकारों का पर्यवसन कर भूमि को राज्यहित में पुनः गृहित किये जाने के आदेश पारित किये गये जिससे वादग्रस्त आराजी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों पर किसी प्रकार का विपरित प्रभाव नहीं पड़ता है एवं अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि उक्त वादग्रस्त आराजी का कृषि कार्य में उपयोग होना साबित होता हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के अकृषि कार्य में उपयोग होने के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2003 को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन बी-3, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2003 को यथावत रखा जाता है।

(टी०रविकान्त)

संभागीय आयुक्त,
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 11.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
संभागीय आयुक्त
जयपुर